महत्वपूर्ण/ई–मेल
संख्या– 120125/ 2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3.समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2023।

विषय– आहरण–वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–102608/XXVII (6)/ई–49706/2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वे0आ0–सा0 नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सख्या– 23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किये जाने तथा ऐसे आहरण–वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण–वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, सम्बन्धी निर्देश निर्गत किए गये।

3– उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी विभाग में पूर्व से आहरण–वितरण कार्य हेतु शासन स्तर से पदवार (पदनाम से) डीडीओ कोड आंवटित किया गया है, अर्थात आहरण–वितरण का कार्य किसी पद में निहित हो, तो पूर्व की भॉति ही उक्त पदधारक द्वारा आहरण वितरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यदि किसी विभाग में आहरण–वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से आहरण–वितरण का कार्य अवरूद्ध हो जाता है, तो विभागों को आबंटित डीडीओ कोड से ही जिलाधिकारी द्वारा आहरण वितरण का कार्य किये जाने हेतु अपने स्तर से किसी सक्षम अधिकारी को शासनादेश संख्या–102608/XXVII (6)/ई–49706/2023, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अनुक्रम में नामित किया जायेगा, जिससे की आहरण–वितरण का कार्य विभागों में सुगमता से संचालित हो सकें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
(आनन्द बर्द्धन) Date: 09-05-2023 11:51:04
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 120125 /2023

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 09/05/2023 09:47 AM

I/120125/2023

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा),
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 09/05/2023 09:47 AM

संख्या–10260/XXVII(6)/ई0–49706/2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी, 2023।

विषय–विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 तथा वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 का (छाया प्रतियां संलग्न) संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विभागों में आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में वांछित अर्हता का उल्लेख करते हुए, उसका अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त **वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि** लेखा संगठन के प्रधान को भुगतान तथा प्रत्युद्धरण का कार्य न्यस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में विभाग के प्रधान यह सोचते हैं कि इस तरह के कार्य किसी विभागीय लेखाकार को सुपुर्द करना उचित है तो वह मामले को आदेश हेतु सरकार के वित्त मंत्रालय को निर्दिष्ट करेंगे।

3– उक्तानुसार विद्यमान सुस्पष्ट व्यवस्था के बावजूद विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि विभागों में तैनात वित्त सेवा के अधिकारियों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. एवं इस संबंध में विद्यमान शासनादेशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त कतिपय अधिकारी समूह 'ख' के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व ही डी0डी0ओ0 के दायित्व का निर्वहन कर रहे है। यह स्थिति राजकीय वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

4– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (बजट) अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–बी–1–1704/दस/1999, दिनांक 21.04.1999 एवं वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–23/XXVII(7)/2007, दिनांक 20.04.2007 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका (लेखा नियम) खण्ड–05 भाग 01 के नियम 400–सी. की व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा ऐसे आहरण–वितरण अधिकारी जो उक्त शासनादेश एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में वर्णित प्राविधानों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वह समस्त अधिकारी आहरण–वितरण के प्रभार से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे, इसके लिए पृथक से आदेश करने अथवा कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5– उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से शासन को 03 दिवस में अवगत कराया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

Generated from eOffice by RAJESH BAHUGUNA, RO-RB, RO-FINANCE, Finance Department on 28/02/2023 09:46 AM

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
(आनन्द बर्द्धन)
Date: 28/02-2023 14:21:50
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–/XXVII(6)/ई 49706/ 2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि आहरण–वितरण अधिकारी के संबंध में उक्तानुसार परीक्षणोपरांत बिलों का भुगतान करने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by RAJESH BAHUGUNA, RO-RB, RO-FINANCE, Finance Department on 28/02/2023 09:46 AM